दैनिक भास्कर

23 सीटर व्यावसायिक वाहनों को अब डीटीओ जारी कर सकेंगे परमिट

पॉलिटिकल रिपोर्टर | पटना

राज्य सरकार ने छोटे व्यावसायिक वाहन मालिकों को बड़ी राहत दी है। मालिकों को अब परमिट के लिए प्रमंडलों का चक्कर नहीं लगाना होगा। सरकार ने 23 सीटर व्यावसायिक वाहनों को परमिट जारी करने का अधिकार संबंधित जिलों के जिला परिवहन पदाधिकारियों को सौंप दिया है। हालांकि, पटना समेत अभी प्रमंडलीय मुख्यालय वाले जिलों में पुरानी व्यवस्था लागू रहेगी। पटना, गया, छपरा, पूर्णिया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सहरसा, भागलपुर और मुंगेर में परमिट आरटीए द्वारा ही दिया जाएगा। मंगलवार को परिवहन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी।

विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि बिहार मोटर वाहन नियमावली में संशोधन के बाद संयुक्त आयुक्त और जिला परिवहन पदाधिकारी को पर्यटक परमिट जारी कर सकेंगे, जबकि छोटे मालवाहक वाहनों और ठेका वाहनों का परमिट जिला परिवहन पदाधिकारी देंगे।

इन्हें मिलेगा परमिट : जिन वाहनों को परमिट मिलेगा उसमें बाइक, टैक्सी, ऑटो, टैक्सी समेत सभी दोपहिया, तीन पहिया और चार पहिया वाहन तथा छह और उससे कम चक्का के मालवाहक शामिल हैं।